संख्या-59/2019/286/71-3-2019-61/2018टीसी-2

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनॉक 25 मार्च, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में केन्द्र सहायतित योजना (फेज-1) के अंतर्गत 05 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2018-19/814, दिनांक 27-02-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य मद में 05 स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूॅजीलेखा पक्ष में "4210-03-105-04-डा0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीटयूट आफ मेडिकल साइन्सेज, गोमतीनगर, लखनऊ में 24-वृहत निर्माण कार्य में कुल रू0 3000.00 लाख (रूपये तीस करोड़ मात्र) की हो रही सम्भावित बचत को पुनर्विनियोग के माध्यम से जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर 05 स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेजों हेतु संलग्न प्रपत्र बीएम-9 में उल्लिखित मद में संक्रमित कर संक्रमित धनराशि व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018-19 में उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय आधारभूत आवश्यकताओं पर ही किया जायेगा।
(3) जिस मद से धनराशि संक्रमित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है, उसमें इस वित्तीय वर्ष में पुन: अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जाएगी।
(4) उपरोक्तानुसार अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थापना की सूचना सहित) यथा सम्भव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
(5) महानिदेशक तथा नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य गुणवत्ता पूर्वक सम्पादित किया जा रहा है।
(6) जिस मद में बचत बताते हुए उससे पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उसमें पुनर्विनियोग हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा।
(7) महानिदेशक, चि0शि0 द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
(8) उक्त मेडिकल कालेजों हेतु मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
(9) व्यय वित्त समिति की शर्तो एवं वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 चिकित्सा शिक्षा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूँजीलेखा के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-67-जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेज की स्थापना-24 वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-227/दस-2019, दिनॉक 22 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
सचिव।

संख्या:-59/2019/286(1)/71-3-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, स्वशासी स्टेट मेडिकल कालेज अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद एवं शाहजहॉपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. नियोजन अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।